





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 03.05.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



## **क्षेत्राधिकारी चरखारी द्वारा थाना खरेला का औचक निरीक्षण करते हुये थाना क्षेत्र के संवेदनशील गांव बल्लायं का किया गया भ्रमण...**

आज दिनांक 03.05.2021 को क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र द्वारा थाना खरेला का औचक निरीक्षण किया गया जिसमें क्षेत्राधिकारी द्वारा थाना हाजा में बने महिला हेल्प डेस्क, कोविड डेस्क का निरीक्षण करते हुये थाने के अभिलेखों का गहनता से अवलोकन करते हुये सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश दिये तत्क्रम में थाने में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगणों से वार्ता कर वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते प्रसार को देखते हुये विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया साथ ही नियमित रूप से योग करने की सलाह दी गयी।

इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी द्वारा जनपद में सम्पन्न हुयी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की मतगणना के दृष्टिगण क्षेत्र में शान्ति एवं कानून व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से थाना क्षेत्र के अति संवेदनशील गांव बल्लायं का भ्रमण किया गया व ग्राम वासियों से संवाद स्थापित करते हुये सुरक्षा का एहसास कराया गया साथ ही कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु ग्राम वासियों से मास्क लगाने, साफ-सफाई रखने का अनुरोध किया गया।





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 03.05.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



## **अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस बल द्वारा पैदल गस्त करके लोगो को आंशिक लॉकडाउन का पालन करने की अपील की गई...**

वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा राज्य में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है जिसको जनपद महोबा वासियों से उसका पालन करने व आंशिक कर्फ्यू को सफल बनाने के उद्देश्य के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में आज **दिनांक 03.05.2021** को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम मय कोतवाली महोबा पुलिस बल के साथ नगर में पैदल गस्त करके आमजन व दुकानदारों को वीकेंड लॉकडाउन के प्रति जागरूक करते हुए पालन करने की अपील की गई, इस अवधि में लोगो से घरों में रहने व अपनी दुकानों को बन्द रखने की हिदायत दी गई, जनपद के अन्य थानों द्वारा पैदल गस्त के दौरान पीए सिस्टम से एलाउन्समेन्ट करके लोगो को आंशिक लॉकडाउन के नियमों को प्रसारित किया गया, साथ ही बताया गया कि आवश्यक वस्तु की सप्लाई जारी रहेगी। लोगो को “02 गज की दूरी मास्क है जरूरी” का संदेश दिया गया। कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर 31 वाहनों को सीज, 24 ई-चालान की कार्यवाही व 15 व्यक्तियों से 3700/-रु0 शमन शुल्क वसूला गया।

